

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील / डिकी / टीए / 722 / 2006 / करौली

- 1- मिश्रीलाल पुत्र जीवनलाल
  - 2- कटोरी बेवा दामोदर
  - 3- बालगोविंद पुत्र दामोदर
  - 4- बृजमोहन पुत्र जीवनलाल
- समस्त जाति ब्राहमण निवासीयान मण्डराल तहसील मण्डरायल जिला करौली।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

- 1- श्रीमती सावित्री देवी पत्नि स्व० अयोध्याप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी बरपाडा, करौली।
- 2- बाबूलाल पुत्र अयोध्याप्रसाद सिंह जाति ब्राहमण निवासी दशहरा मैदान ब्रह्मपुरी थाने के सामने वाली गली, जयपुर।
- 3- हरीमोहन पुत्र अयोध्याप्रसाद सिंह जाति ब्राहमण निवासी घंटाघर के पास वाली गली, कोटा।
- 4- विष्णु पुत्र अयोध्याप्रसाद सिंह जाति ब्राहमण निवासी पानीपंच जयपुर।
- 5- ईश्वर प्रसाद पुत्र अयोध्याप्रसाद सिंह जाति ब्राहमण निवासी झोटवाडा, जयपुर।
- 6- राकेश पुत्र अयोध्याप्रसाद सिंह जाति ब्राहमण निवासी पानीपंच जयपुर।
- 7- विद्यादेवी पत्नि शिवजीप्रसाद पुत्री अयोध्याप्रसाद सिंह निवासी चटीकना, करौली
- 8- चन्द्रकला देवी पत्नि महेन्द्र कुमार पुत्री अयोध्याप्रसाद सिंह निवासी चटीकना, करौली
- 9- कमलेश कुमारी पत्नि के.के.शर्मा पुत्री अयोध्यप्रसाद सिंह निवासी रेल्वे कॉलानी, कोटा।
- 10- रामदयाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरपाडा करौली।
- 11- तहसीलदार मण्डरायल लेण्ड हौल्डर
- 12- अशोक पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी उपाध्यायपाडा, तहसील मण्डरायल जिला करौली।
- 13- अंगूरबाई बेवा बालकृष्ण जाति ब्राहमण निवासी हाथीघटा, करौली।
- 14- हरिओम पुत्र बालकृष्ण जाति ब्राहमण निवासी उपाध्यायपाडा, मण्डरायल, करौली।
- 15- जर्नादन पुत्र बालकृष्ण जाति ब्राहमण निवासी उपाध्यायपाडा, मण्डरायल, करौली।
- 16- लक्ष्मीबाई बेवा रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी उपाध्यायपाडा, मण्डरायल, करौली।
- 17- प्रेम पुत्री रामजीलाल पत्नि रमेशचंद शर्मा, निवासी गंलाले, तहसील सवलगढ (मध्यप्रदेश)
- 18- भगवती पुत्री रामजीलाल पत्नि उमाशंकर जाति ब्राहमण निवासी जमूदी डुकावली तहसील वीरपुर (मध्यप्रदेश)
- 19- वेदवती पुत्र रामजीलाल पत्नि हरिशंकर जाति ब्राहमण निवासी मासलपुर, करौली।

20/12

21/12

तत्त्व प्रतिलिपि

मिबन्धक

राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर

RECEIVED BY

अपील /डिक्री/ टीए / 722 /2006/ जिला करौली  
मिश्रीलाल व अन्य बनाम सावित्रीदेवी व अन्य

- 20- सीता पत्नि जगमोहन पुत्री दामोदर जाति ब्राहमण निवासी मण्डरायल,  
करौली।  
21- गीता पत्नि रामेश्वरदयाल पुत्री दामोदरलाल जाति ब्राहमण निवासी  
मांगरोल तहसील सावलगढ (मध्यप्रदेश)  
22- भगवती पत्नि शिवचरण पुत्री दामोदर जाति ब्राहमण विजयपुर (मध्यप्रदेश)  
23- ओमवती पत्नि देवीप्रसाद पुत्री दामोदर जाति ब्राहमण निवासी डेडोखार,  
(मध्यप्रदेश)

..... प्रत्यर्धीगण

खण्ड-पीठ

श्री ताराचन्द सहारण, सदस्य  
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :

- श्री जे.के.पारीक अभिभाषक अपीलार्धीगण  
श्री पूर्णाशंकर दशोरा व समीर अहमद अभिभाषक प्रत्यर्धी संख्या 10  
श्री एस.के.शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्धी संख्या 1 से 9  
श्री आर.के.गुप्ता राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्धी संख्या 11  
श्री प्रदीप नेहरा अभिभाषक प्रत्यर्धी संख्या 18, 19, 22 व 23 के  
प्रत्यर्धी संख्या 12 से 17, 21 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

दिनांक: 21-12-2011

निर्णय

1- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 224 के अन्तर्गत यह अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 86/04 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2-12-05 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील मीमो अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/ प्रत्यर्धी संख्या 1 से 9 ने प्रतिवादीगण/अपीलार्धीगण और प्रतिवादीगण/प्रत्यर्धी संख्या 10 से 23 के विरुद्ध राजस्व वाद अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अंतर्गत खाता विभाजन हेतु न्यायालय उप जिला कलेक्टर, मण्डरायल, जिला करौली (परीक्षण न्यायालय) में प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा (counter claim) प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रत्यर्धीगण संख्या 1 से 9 का दावा दिनांक 12-03-2004 को स्वीकार कर डिक्री कर दिया, एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा (counter claim) को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रतिवादीगण/ अपीलार्धीगण ने प्रथम अपीलीय

तथ्य प्रतिलिपि

10/22/11  
मिशनर  
राजस्थान मण्डल राजस्थान  
बलमेर

21/12

COMPARED BY

अपील /डिक्री/ सीए / 722 /2006/ जिला करौली  
मिश्रीलाल व अन्य बनाम सावित्रीदेवी व अन्य

न्यायालय में प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 02-12-2005 द्वारा खारिज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 02-12-2005 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गयी है:-

- (1) कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की अपील को बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 41 नियम 31 में स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय रिकॉर्ड पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर सुस्पष्ट कारण सहित निर्णय पारित करें, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त नियम की पालना नहीं की गयी।
- (2) कि विवादित भूमि पैतृक भूमि नहीं है तथा वादीगण/ प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे वादग्रस्त भूमि पैतृक सिद्ध होती हो, फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवादित निर्णय पारित कर दिये गये, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
- (3) कि विवादित भूमि पर वादीगण/ प्रत्यर्थीगण का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा। सेटलमेंट विभाग द्वारा विवादित भूमि को पैतृक बताते हुये जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया था, उस अंकन से वादीगण/प्रत्यर्थीगण को कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकॉर्ड के अंकनों में परिवर्तन एवं खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है। सेटलमेंट विभाग द्वारा किया गया परिवर्तन पूर्णतया अवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि खसरा नम्बर 733 से 735 की भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, और उसमें वादीगण/ प्रत्यर्थीगण का कोई अधिकार नहीं है।
- (4) कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सेटलमेंट विभाग के आदेश दिनांक 22-12-1959 को आधार मानकर विवादित निर्णय एवं डिक्री पारित किये है जबकि सेटलमेंट के आदेश में खसरा नम्बर अंकित नहीं किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालयों ने आवश्यक तनकीयात नहीं बनाई और न ही उक्त संबंध में कोई समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित किये। प्रतिदावा (counter claim) के संबंध में सभी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर होते हुये भी कानून को दृष्टिगत रखे बिना निर्णय पारित किये गये हैं।


अपील अतिरिक्त

10/12/11  
मिश्रीलाल  
राजस्व मण्डल सचिव  
अजमेर

CCU

2/12

COMPAKED BY



अपील /डिक्री/ टीए / 722 /2006/ जिला करौली  
मिश्रीलाल व अन्य बनाम सावित्रीदेवी व अन्य

उपरोक्त आधारों पर हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02-12-2005 को और परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-03-2004 को निरस्त करके वादीगण के दावे को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थीगण के प्रतिदावा को डिक्री किया जावे।

3- बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गयी।

4- अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिकथन किया गया कि तनकी संख्या 1 वादी को सिद्ध करनी थी और परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को सेटलमेंट अधिकारियों के सामने जीवनलाल द्वारा दिये गये बयान के आधार पर सिद्ध मान लिया गया, जबकि वादीगण/ प्रत्यर्थीगण उक्त तनकी को सिद्ध नहीं कर पाये हैं। यह भी अभिकथन किया गया कि तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण को सिद्ध करनी थी, जिसके लिये पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेजात प्रस्तुत करने के बावजूद परीक्षण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सिद्ध नहीं मानना रिकॉर्ड व तथ्यों के विपरीत है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार निष्कर्ष अंकित नहीं करने और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 की पालना नहीं करने सम्बन्धी आपत्ति के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा न्याय दृष्टान्त 2001 RRD 123 प्रस्तुत किया गया।

5- जवाबी बहस में प्रत्यर्थीपक्ष के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि सम्वत 2015 से लगातार वादीगण की खातेदारी में है और वादीगण का दावा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा व हक अनुसार अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन हेतु था। जब वादीगण का दावा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से ही सिद्ध है तो परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त दावे को डिक्री करके तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय की पुष्टी करके कोई विधिक भूल नहीं की गयी है। सेटलमेंट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने की बात अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रतिवाद में कही गयी है अतः इस तथ्य को तनकी संख्या 3 के तहत अपीलार्थीगण को सिद्ध करना था, जिसे वे सिद्ध नहीं कर पाये हैं। विद्वान अभिभाषक द्वारा 1993 RRD 489 में अभिनिर्धारित न्यायिक दृष्टान्त से समर्थन हासिल करते हुये तर्क किया गया कि जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जावे, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् जमाबन्दी के अंकनों को सही माना जावेगा। इसी प्रकार न्यायिक

10/22/11  
3/2

RECORDED BY

दृष्टान्त 2003 RRD 223 के समर्थन से विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि जब परीक्षण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष समवर्ती हों तो द्वितीय अपील के दौरान ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6- दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं आलोच्य निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

7- वादीगण के दावे का आधार यह था कि वादग्रस्त भूमि में वादी अयोध्यासिंह का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 रामदयाल का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 अर्थात् रामजीलाल अथवा वारिसान, मिश्रीलाल, दामोदर अथवा वारिसान, और बृजमोहन का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा व अधिकार है और तदनुसार खाता विभाजन की डिक्री का अनुरोध किया गया था। उक्त वाद के जवाब में प्रतिवादी संख्या 1 ने दावे को स्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की तरफ से जवाबदांवा मय प्रतिदावा (counter claim) प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 और प्रतिवादी संख्या 1 रामदयाल का 1/4 हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के खातेदारी की है और वादीगण गलत अंकन के आधार पर झूठा दावा लेकर आये हैं। वादग्रस्त आराजी पर लगभग 70 सालों से कब्जा व काश्त प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का उनके पिता के जीवन काल से ही चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं रहा। वादग्रस्त भूमि पर सेटलमेंट पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता का कब्जा काश्त होने से अधिनियम, 1955 लागू होने के साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता खातेदार हो गये। वादी के पिता करौली में तहसीलदार होने के कारण उसने सेटलमेंट वालों से मिल कर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अपने नाम कराली, जिससे प्रतिवादीगण पाबन्द नहीं हैं। इन अभिकथनों के साथ प्रतिदावा (counter claim) प्रस्तुत कर अनुतोष यह चाहा गया कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की खातेदारी की घोषणा की जावे।

8- परीक्षण न्यायालय द्वारा वादपत्र, जवाबदावा, प्रतिदावा आदि के आधार पर कुल 5 विवाद्यक (अनुतोष सहित) विरचित किये गये, जिनमें से प्रकरण के गुणावगुण की दृष्टि से दो विवाद्यक ही महत्वपूर्ण हैं:-

सत्य प्रतिलिपि  
10/22/11  
विशेष  
अधिवक्ता  
राजमेर

अधिवक्ता  
राजमेर

अधिवक्ता  
राजमेर

- (1) विवाद्यक संख्या 1- आया वादपत्र के पेरा नम्बर 1 में वर्णित आराजियात में, जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 5 का हिस्सा क्रमशः 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 है एवं उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की है। - यह विवाद्यक वादीगण के वादपत्र के अभिवचनों पर आधारित थीं और इसे सिद्ध करने का दायित्व वादी पक्ष पर था।
- (2) विवाद्यक संख्या 3- आया प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 वादपत्र संख्या 1 (वादपत्र का पेरा संख्या 1 होना चाहिये) में वर्णित आराजियात का अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज कराने की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। - यह विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा पर आधारित थीं और इसे सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 पर था।

9- परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्बत 2047-50 (Ex-1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी रामजीलाल, मिश्रीलाल, दामोदर, बृजमोहन पिता जीवन हिस्सा 1/2 और अयोध्याप्रसाद, रामदयाल पिता रामनारायण हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज है। इस दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी में अयोध्याप्रसाद अथवा उसके वारिसान का 1/4 व रामदयाल अथवा उसके वारिसान का 1/4 हक व हिस्सा है। इस प्रकार वादीगण/प्रत्यर्थीगण के जिम्मे रखा गया विवाद्यक संख्या 1 तो राजस्व अभिलेख से ही सिद्ध है क्योंकि वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हक व हिस्से को ही अपने दावे का आधार बनाया है और जब तक उक्त जमाबन्दी को गलत सिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक विभाजन के दावे में उसे ही सही माना जावेगा। जैसा कि प्रत्यर्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1993 RRD 489 में राजस्व मण्डल की ही खण्ड पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

“Whenever any person produces jamabandi in his name there is a presumption that he is recorded khatedar of that land. The burden lies on the person who challenges the jamabandi and he has to prove that there was an error in the jamabandi or that the entries were obtained by false frivolous means or by fraud or some other such manner.”

चूंकि वादीगण द्वारा वर्तमान राजस्व अभिलेख (दावा दायरी के वक्त के राजस्व अभिलेख) को आधार बना कर विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया था और प्रतिवादी

संख्या 2 से 5 द्वारा अपने प्रतिदावा (counter claim) के माध्यम से उक्त राजस्व अभिलेख/जमाबन्दी के अंकनों को चुनौती देते हुये यह अभिवचन किया गया है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राजस्व अभिलेख में परिवर्तन किया गया है, अतः प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 को ही यह सिद्ध करना था कि सेटलमेंट से पूर्व राजस्व अभिलेख में क्या अंकन थे और सेटलमेंट विभाग द्वारा उसमें क्या परिवर्तन किये गये हैं। दौराने बहस प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा हमारा ध्यान सेटलमेंट सम्वत 2015-34 के पर्चा लगान ईएक्स-ए-13 व ईएक्स-ए-14 की ओर आकर्षित कर यह तर्क किया है कि उक्त पर्चा लगान में सेटलमेंट विभाग द्वारा जीवनलाल के बयान ईएक्स-ए-15 को आधार बना कर वादग्रस्त भूमि में हिस्सा निर्धारण किया है जबकि पर्चा लगान अकेले जीवनलाल के नाम से जारी किया गया था। वस्तुतः यह सेटलमेंट सँकियाओं का हिस्सा है जिसके तहत पहले कच्चा पर्चा लगान जारी किया जाता है ताकि सम्बन्धित हितबद्ध पक्षकारों को सूचित कर आपत्तियां आमंत्रित की जा सकें और बाद सुनवाई रिकॉर्ड को अन्तिम रूप दिया जा सके। अतः उक्त पर्चा लगान ईएक्स-ए-13 व ईएक्स-ए-14 सेटलमेंट नियमावली के तहत सामान्य प्रक्रिया अपनाने के बाद जारी किया गया पर्चा लगान है जिसमें प्रतिवादीगण /अपीलार्थीगण के पिता जीवनलाल का मात्र 1/3 हिस्सा ही था और रामरतन व रामनारायण का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा था। नीचे की अदालतों के आलोच्य निर्णयों में बयान गवाहान के आधार पर यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि एक भाई रामरतन लाऔलाद फौत हो जाने से बाद में जीवनलाल का 1/2 और रामनारायण का 1/2 हिस्सा हो गया। इसी आधार पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में रामनारायण के वारिसान अयोध्याप्रसाद व रामदयाल कमशः 1/4, 1/4 हिस्सा व हक के खातेदार दर्ज हुये हैं। अतः अपीलार्थीगण का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि सेटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण अथवा उनके पिता जीवनलाल के एकल खातेदारी में ही थी। इस तथ्य को सिद्ध करने और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का हक व हिस्सा दर्ज होने के तथ्य को गलत सिद्ध करने के लिये अपीलार्थीगण को उक्त सेटलमेंट वर्ष 2015-34 से पूर्व का राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत करना था। उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड क्या था और उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। किन्तु अपीलार्थीगण ऐसा करने में असफल रहे हैं अतः विधि की सुस्थापित स्थिति यही है कि दावा प्रस्तुत करने के वक्त राजस्व रिकॉर्ड के अंकनों को ही आधार बना कर दावे का निर्णय किया जाना होता है और इस दृष्टि से केवल जमाबन्दी सम्वत 2047-50 ईएक्स-1 से ही वादीगण का

अपील /डिंडी/ टीए / 722 /2006/ जिला करौली  
मिश्रीलाल व अन्य बनाम सावित्रीदेवी व अन्य

दावा सिद्ध है। अतः विवाद्यक संख्या 1 का निर्णय वादीगण/ प्रत्यर्थीगण के पक्ष में करने में परीक्षण न्यायालय द्वारा कोई भूल कारित नहीं की गई है।

10- विवाद्यक संख्या-3 प्रतिवादीगण के प्रतिदावा पर आधारित थी और इसे सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण पर था और अपीलार्थीगण को अपना प्रतिदावा व विवाद्यक संख्या-3 को सिद्ध करने के लिये यह बताना आवश्यक था कि सेटलमेंट से पूर्व राजस्व अभिलेख क्या था और उसमें सेटलमेंट द्वारा क्या परिवर्तन किया गया है। सेटलमेंट द्वारा जारी किये गये पर्चा लगान मात्र से प्रतिवादीगण के प्रतिदावा (counter claim) को सिद्ध नहीं माना जा सकता है। पूर्व पेरा में इस बिन्दु पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। अतः हमारा निष्कर्ष है कि प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में विवाद्यक संख्या-3 को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। परिणामतः हम परीक्षण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर निकाले गये निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

11- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा दौराने बहस बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि नीचे के दोनों न्यायालयों ने वादीगण के वाद को स्वीकार करने और प्रतिवादीगण के प्रतिदावा को खारिज करने के लिये जीवनलाल द्वारा सेटलमेंट अधिकारियों के समक्ष दिये गये बयान को ही आधार बनाया है किन्तु विद्वान अभिभाषक का यह तर्क रवीकार्य नहीं है क्योंकि परीक्षण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या-1 पर विचार करते समय स्पष्ट रूप से नकल जमाबन्दी 2047-50 ईएक्स-1 को ही आधार बनाया है और निष्कर्ष अंकित किया है कि "प्रतिवादी मिश्रीलाल डीडब्लू-2 ने अपने बयान में चीफ में तथा प्रतिवादी बृजमोहन डीडब्लू-3 ने अपनी जिरह में जमाबन्दी प्रदर्श-1 को स्वीकार किया है। जमाबन्दी प्रदर्श-1 में वादी का तथा प्रतिवादी नम्बर-1 का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा अंकित है।" इस प्रकार परीक्षण न्यायालय का निष्कर्ष मुख्यतः जमाबन्दी पर ही आधारित है। जीवनलाल के बयान और सेटलमेंट के पर्चा ईएक्स-ए-13 व ईएक्स-ए-14 का उल्लेख तो प्रसंगवश यह स्पष्ट करने के लिये किया गया है कि प्रतिवादी अपने प्रतिवाद में अंकित इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया है कि राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट विभाग द्वारा परिवर्तन किया गया है। अतः विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का यह तर्क सही नहीं है कि केवल जीवनलाल के बयान के आधार पर ही विवाद्यक संख्या-1 को वादीगण के पक्ष में सिद्ध मान लिया गया है।

02/11/21  
22/11/21



अपील /डिबी/ टीए / 722 /2006/ जिला करौली  
मिश्रीलाल व अन्य बनाम सावित्रीदेवी व अन्य

12- अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार निष्कर्ष अंकित नहीं करके सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 की पालना नहीं की गयी है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा 2010 RRD 123 का न्याय दृष्टान्त भी प्रस्तुत किया गया है किन्तु उक्त दृष्टान्त के तहत निर्णीत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय का मत परीक्षण न्यायालय के मत से भिन्न था जबकि हस्तगत प्रकरण में समवर्ती मत है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त को तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष की ही पुष्टि की गयी है। उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा यह मत सुविनिश्चित हो चुका है कि जब अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के बिन्दुवार / तनकीवार निष्कर्षों से सहमति जताते हुये अपीलाधीन निर्णय को बहाल रखा जाता है तो अपीलीय न्यायालय के लिये प्रत्येक बिन्दु पर दस्तावेजात व साक्ष्य की विवेचना करना और बिन्दुवार निष्कर्ष अंकित करना अनिवार्य नहीं है। जैसा कि RLW 2004 (4) 2358 में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है:-

“ .... when appellate Court agrees with the view of trial Court on evidence, it need not restate effect of evidence or reiterate reason given by the trial Court.”

इसी प्रकार AIR 2008 (SC) 673 में भी, जैसा कि 2010 RBJ (17) 297 में उद्धृत किया गया है, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

“The appellate court **agreeing with the view of trial court need not restate the effect of the evidence or reasons given by the trial court; expression of general agreement with the reasons given by the court, decision of which is under appeal, would ordinarily suffice.**”

चूंकि हस्तगत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष समवर्ती हैं, अतः आदेश 41 नियम 31 की पालना नहीं करने बाबत की गयी आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।

13- अपील मीमो में यह भी आपत्ति ली गयी है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी को पैतृक सिद्ध करने में सफल नहीं रहे हैं। किन्तु इस आपत्ति का भी कोई आधार नहीं है क्योंकि वादीगण तो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर खाता विभाजन का दावा लेकर आये हैं। वादग्रस्त आराजी का पैतृक होना या नहीं होना अभिलिखित सहखातेदारान के बीच खाता विभाजन के दावे में महत्वपूर्ण नहीं है।

10/2/21  
10/2/21

10/2/21


अपील /डिक्की/ टीए / 722 /2006/ जिला करौली  
मिश्रीलाल व अन्य बनाम सावित्रीदेवी व अन्य


वादीगण का सीधा सा दावा यह है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है और प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ जाने से अब संयुक्त खेती होना सम्भव नहीं है। अतः विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा अपने दावे में भूमि के पैतृक होने या नही होने का कोई आधार ही नहीं लिया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा ली गयी यह आपत्ति निराधार है।


14-- उपरोक्त पेरा 7 से 13 में की गयी विवेचना के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्की दिनांक 12-03-2004 और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्की दिनांक 02-12-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील निराधार एवं सारहीन है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्त्विक त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

15-- परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मूलचंद मीणा)  
सदस्य

  
(ताराचन्द सहारण)  
सदस्य

  
सदस्य

  
सदस्य